

भाग 3

समामेलन, विभाजन, अवक्रान्ति तथा अन्य आकस्मिकताओं की दशा में

10[432. यदि किसी कारण से जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से जहां पर रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी जैसा कि निबन्धक विनिश्चत करें।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन कर लिये गये हैं और चिन्हों का आवण्टन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा, जो निबन्धक नियत करे।

प्रबन्ध कमेटी का संघटन

1[433. एक या अधिक सहकारी समितियों के किसी अन्य सहकारी समिति में विलयन की स्थिति में पश्चात्त्वर्ती समिति की प्रबन्ध कमेटी पद धारण किये रहेगी जब तक कि अधिनियम नियमावली और समिति की उपविधियों के अनुसार नयी समिति संगठित न हो जाये।

434. यदि दो या अधिक सहकारी समितियों के सम्मेलन से एक नयी सहकारी समिति बनाई जाये तो निबन्धक नई समिति और उसकी उपविधियों का निबन्धन करते समय, प्रबन्ध कमेटी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी भी नाम-निर्दिष्ट करेगी जब तक नियमों और समिति के उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध कमेटी संगठित न हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी इस प्रकार संगठित की जायेगी कि यथासम्भव सम्मेलित होने वाली समितियों का उसमें सम्यक् प्रतिनिधि हो सके।

2[435. जहाँ किसी सहकारी समिति का दो या दो से अधिक समितियों में विभाजन किया जाये, वहाँ निबन्धक, नई समितियों और उसकी उपविधियों का निबन्धन करते समय, ऐसी प्रत्येक समिति की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी भी नाम निर्दिष्ट करेगा। किसी समिति की अन्तरिम कमेटी तब तक कार्य करेगी जब तक कि नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध कमेटी संगठित न हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी इस प्रकार संगठित

की जायेगी कि जो व्यक्ति नव निबन्धित समिति के प्रवर्तन के क्षेत्र के भीतर स्थायी रूप से निवास करते हैं और विभाजित समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हें नव निबन्धित समिति की अन्तिम प्रबन्ध कमेटी में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नव निबन्धित समिति कोई जिला सहकारी बैंक है तो जिला सहायक निबन्धक और उप निदेशक(कृषि प्रसार) और जिला विकास अधिकारी भी यथा संगठित उक्त नव निबन्धित समिति की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी के पदेन सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।]

3[436. जहाँ कोई कमेटी -

(1) धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त की गयी हो और सदस्यों की संख्या दो से अधिक हो, या

(2) नियम 434 या नियम 435 के अधीन निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट की गयी हो,

यहाँ प्रत्येक ऐसी कमेटियों के यथास्थिति, नियुक्त या नाम निर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य, नियम 437 में दी गई रीति से अपने में से सभापति और उप-सभापति का निर्वाचन करेंगे।

437. नियम 436 के अधीन सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन के लिए, उम्मीदवारों के नाम निर्देशन बैठक में ही आमन्त्रित किये जायेंगे। नाम वापस लेने के पश्चात् यदि कोई हो, निर्वाचन हाथ उठाकर होगा।

बारबार-बारबार मत होने की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता कमेटी का कोई एक सदस्य करेगा जो इस प्रयोजन के लिए चुना जायेगा।

1[438. जहाँ किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी न रह जाये या कार्य करना बन्द कर दे या धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 100 के अधीन समिति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए विवाद कालीन आदेश पारित होने के फलस्वरूप अन्तरिम व्यवस्था करना अपेक्षित हो और ओदश के अनुसरण में निबन्धक द्वारा कोई अन्तरिम कमेटी नियुक्त की गई हो, वहाँ ऐसी अन्तरिम कमेटी नियम 437 के उपबन्धों के अनुसार एक सभापति और उप-सभापति का निर्वाचन करेगी।

2[438. (क) जहाँ नियम 434 435 या 438 के अधीन कोई अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी नियुक्त की जाये, वहा उस अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी नियुक्ति की जाये वहाँ उस अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी या यह उत्तरदायत्व होगा कि अपने नियुक्ति के छः माह के भीतर निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का पुर्नगठन की व्यवस्था करे, और ऐसी निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी, अपने गठन पर तत्काल प्रबन्ध कमेटी का स्थान लेगी।

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(5), 1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा रखे गये।

2. अधिसूचना संख्या 719/एम/49/1-95-7(10)/1995 दिनांक

16.11.1995 द्वारा बदला गया।

3. नियम 435, 436 अधिसूचना संख्या 1883/49-1-95-7(13)-94
दिनांक 5.6.1995 द्वारा बदला गया।

1. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
निकाला गया।

2. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
निकाला गया।

3. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया।

4. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
निकाला गया।

5. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
निकाला गया।

6. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया।

7. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया।

8. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया।

9. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा निकाला गया।

10. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

भाग 4- सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन

नियम